न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी	:	संदीप आनन्द, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:	08/2021
सी.आई.एस. नं.	:	08/2021
एफआईआर संख्या	:	388/2019 पुलिस थाना मदनगंज

राजस्थान राज्य

बनाम

भारत भुषण पुत्र श्री गुरूदासमल हिंदवानी, उम्र 37 वर्ष निवासी 76 सिद्धी विनायक कॉलोनी खोडा गणेश जी रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।

अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 366, 376, 376(2)(N) भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः-

1-श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2- श्री सुदीप सिंह, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः 20-04-2026

1. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पीडिता ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-32 उपस्थित थाना मदनगंज होकर इस आशय की पेश की कि मेरे राधाकृष्णा जनरल स्टोर के नाम से किराणा की दुकान है जहां पर करीब डेढ़ वर्ष पहले से भारत भूषण हिंदवानी आता-जाता रहा है जिस कारण मेरी भारत भूषण हिंदवानी से अच्छी जान पहचान हो गयी और हम दोनों एक-दूसरे से अपनी घरेलू बाते शेयर करने लगे, जिस कारण हमारी दोस्ती भी हो गयी थी। पूर्व में मेरे पति से मेरी अनबन चल रही थी जिसकी पूर्ण जानकारी भारत भूषण को थी। उसने मेरे साथ हमदर्दी जताई

और मुझे कहा कि जिस प्रकार तुम अपने पति से दुःखी हो उसकी प्रकार मैं भी अपनी पत्नी से दुःखी हूं। मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं तुम भी अपने पति ने तलाक दे दो। फिर हम दोनों शादी करके एक साथ रहेंगे। भारत भूषण का मेरे घर पर भी आना-जाना हो गया, क्योंकि उसने मेरे पति को कुछ पैसो की मदद कर दी थी। मई 2019 में मुझे शादी का झांसा देकर भारत भूषण हिंदवानी अमृतसर और दिल्ली घुमाने ले गया था और अमृतसर होटल एम.जी. रेजीडेन्स में रूम लिया वहां पर उसने मुझे शादी का झांसा दिया और मुझे शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये दबाव डाला। तब मैंने उसे जबरदस्ती करने के लिये मना किया तो उसने मुझे दूसरे दिन शादी करने का वादा किया और कहा कि अब तो हम पति-पत्नी बनकर रहेंगे और उसने मेरे साथ दो बार जबरदस्ती प्रेशर डालकर शारीरिक सम्बन्ध बनायें। फिर अमृतसर से दिल्ली ले गया और घुमा फिराकर वापिस किशनगढ़ ले आया। जब भी मैंने भारत भूषण से शादी की बात कही तो वह टालमटोल करता रहा और मुझसे कहा कि अभी उचित समय नहीं है ना ही तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक हुआ है और ना ही मेरा मेरी पत्नी से तलाक हुआ है। तब से वह लगातार मेरे पति की अनुपस्थिति में मेरे घर पर आता और मेरे साथ शादी का झांसा देकर संभोग करता। भारत भूषण अपने मोबाईल नम्बर 6378456842 एवं 9214107460 से मेरे मोबाईल फोन नम्बर 8005505197 एवं 9352271702 पर लगातार वार्तालाप करता और मैसेज करता और मुझे शादी करने का आश्वासन देता रहता। भारत भूषण हिंदवानी द्वारा जबरन मेरे साथ संभोग किये जाने के कारण मैं गर्भवती हो गयी थी जिस कारण उसने दिनांक 12.11.2019 को मेरी मर्जी के खिलाफ सरोज क्लिनिक मदनगंज-किशनगढ पर मेरी डी.एन.सी करवा दी। उस समय भी मुझे बहुत जल्द शादी करने का आश्वासन दिया। आज से 4 महिने पूर्व भारत भूषण ने मुझे कहा कि माउन्ट आबू घूमने चलते हैं अपन वहीं पर कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मुझे दिनांक 24.08.2019 को माउन्ट आबू ले गया। माउन्ट आबू में भारत भूषण ने होटल में रूम किराये पर लिया रात के समय जब वह मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने लगा तो मैंने उसे मना कर दिया कि अब नहीं

"Authenticated Document"

अब शादी करने के बाद ही यह सब कुछ लेकिन भारत भूषण नहीं माना और उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ जबरदस्ती तीन बार बलात्कार किया। उसने मेरे साथ गुदा सम्भोग भी किया और मुख सम्भोग भी किया। इस प्रकार तब से लेकर भारत भूषण हिंदवानी मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ बलात्कार व अप्राकृतिक मैथून करता था आदि...।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस मदनगंज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 388/19 अंतर्गत धारा 376, 376(2)(N), 377, 313 भा.द.स में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं बाद अनुसंधान मुलजिम भारत भूषण हिंदवानी के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 366, 376, 376(2)(N)भारतीय दंड संहिता में विद्वान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 किशनगढ़ के समक्ष दिनांक 18-12-2029 को प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने इन धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया एवं यह प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय को उपार्पित किया।

3. यह प्रकरण उपार्पित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं आरोप बहस सुनी जाकर दिनांक 11-04-2022 को मुलजिम भारत भूषण हिंदवानी को धारा 366, 376, 376(2)(N) भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो मुलजिम ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया-

क्र.स.	गवाह संख्या	गवाह का नाम
1.	पी.डब्ल्यू- 1	मोहित
2.	पी.डब्ल्यू- 2	लक्ष्मी
3.	पी.डब्ल्यू- 3	डॉ सरोज विजय
4.	पी.डब्ल्यू- 4	सुरेश कुमार

5.	पी.डब्ल्यू- 5	कृष्ण कुमार हिंदवानी
6.	पी.डब्ल्यू- 6	अरविन्द मालाकार
7.	पी.डब्ल्यू- 7	हनुमान
8.	पी.डब्ल्यू- 8	डॉ. गुलाबचंद
9.	पी.डब्ल्यू- 9	डॉ. अंजना गुप्ता
10.	पी.डब्ल्यू- 10	रामजीलाल पुत्र रामेश्वरलाल
11.	पी.डब्ल्यू- 11	रामजीलाल पुत्र छीतरमल
12.	पी.डब्ल्यू- 12	सीताराम
13.	पी.डब्ल्यू- 13	रोशन सामरिया

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया-

क्र.स.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी- 1	नक्शा मौका घटनास्थल
2.	प्रदर्श पी- 2	पीडिता के पुलिस बयान
3.	प्रदर्श पी- 3	फर्द पेशकशी व जब्ती अण्डरवियर
4.	प्रदर्श पी- 4	बलात्कार संबंधी रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी- 5	फर्द सील चिट चस्पा अंडरवियर
6.	प्रदर्श पी- 6	प्रबंधक सरोज हास्पीटल को पीडिता की डीएनसी करने संबंधी दस्तावेज पेश करने हेतु जारी तहरीरी
7.	प्रदर्श पी- 7	ईलाज की पर्ची

8.	प्रदर्श पी- 8	सोनोग्राफी
9.	प्रदर्श पी-9	सोनोग्राफी रिपोर्ट
10.	प्रदर्श पी- 10	पीडिता का अस्पताल में भर्ती होने का एडमिशन फार्म
11.	प्रदर्श पी-11	फर्द गिरफतारी मुलजिम
12.	प्रदर्श पी-12	फर्द नक्शा मौका एमजी रेजीडेन्सी होटल अमृतसर
13.	प्रदर्श पी-13	मालखाना रजिस्टर, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-13 ए है।
14.	प्रदर्श पी-14	मुलजिम की पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट
15.	प्रदर्श पी-15	थानाधिकारी पुलिस थाना मदनगंज द्वारा जारी अग्रेषण पत्र
16.	प्रदर्श पी- 16	पुलिस अधीक्षक द्वारा एफएसएल को जारी अग्रेषण पत्र
17.	प्रदर्श पी-17	एफएसएल जमा रसीद
18.	प्रदर्श पी- 18	थानाधिकारी द्वारा जारी अग्रेषण पत्र
19.	प्रदर्श पी-19	पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा जारी अग्रेषण पत्र
20.	प्रदर्श पी-20	एफएसएल जमा रसीद
21.	प्रदर्श पी-21	एफएसएल जांच रिपोर्ट
22.	प्रदर्श पी-22	पीडित के धारा 164 सीआरपीसी के बयान करवाने हेतु थानाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय को जारी प्रार्थना पत्र
23.	प्रदर्श पी-23	धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

"Authenticated Document"

24.	प्रदर्श पी- 24	पीडिता के धारा 164 सीआरपीसी बयानों की कार्बन प्रति
25.	प्रदर्श पी-25	फर्द नमूना सील
26.	प्रदर्श पी-26	मुलजिम को पार्चेजात पेश करने हेतु जारी नोटिस
27.	प्रदर्श पी-27	पीडिता को माउंट आबू स्थित घटनास्थल बताने हेतु जारी नोटिस
28.	प्रदर्श पी-28	एमओ वाईएनअस्पताल को पीडिता के बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाने हेतु जारी पत्र
29.	प्रदर्श पी-29	पीडिता के डीएनसी को मेडिकल कराने हेतु दिया गया पत्र
30.	प्रदर्श पी-30	एमजी रेजीडेन्सी अमृतसर के प्रभारी को धारा 91 दप्रस के दिये गये नोटिस की कार्बन प्रति व होटल द्वारा जारी होटल का कार्ड व रजिस्टर की फोटोप्रति
31.	प्रदर्श पी-31	गवाह सरोज विजयवर्गीय के आधार कार्ड की सत्यापित फोटोप्रति
32.	प्रदर्श पी-32	तहरीरी रिपोर्ट
33.	प्रदर्श पी-33	चाक एफआईआर

6. अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात् मुल्जिम का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 जाप्ता फौजदारी में किया गया जिसमें उसने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होने का कथन किया कि उसके द्वारा पीडिता व उसके पति को उधार दी गई राशि की जरिये नोटिस मांग की जिसकी देनदारी से बचने के लिए पीडिता ने उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा।

7. अभियुक्त द्वारा दौराने साक्ष्य सफाई स्वयं को गवाह डीडब्ल्यू-1 भारतभुषण के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में

निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये-

क्र.स.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श डी- 1	प्रकरण 594/2019 में राजेश अरोडा का चैक
2.	प्रदर्श डी- 2	चैक बाउंस मीमो
3.	प्रदर्श डी- 3	चैक बाउंस नोटिस
4.	प्रदर्श डी- 4	नोटिस की डाक रसीद
5.	प्रदर्श डी- 5	पावती रसीद
6.	प्रदर्श डी- 6	नोटिस प्राप्ति की कम्प्यूटर प्रति
7.	प्रदर्श डी- 7	प्रकरण के प्रोसैंडिंग
8.	प्रदर्श डी- 8	परिवाद
9.	प्रदर्श डी-9	प्रकरण संख्या 525/2019 में प्रस्तुत मोनिका मेहता का चैक
10.	प्रदर्श डी- 10	चैक बाउंस मीमो
11.	प्रदर्श डी-11	नोटिस भेजे जाने की डाक रसीद
12.	प्रदर्श डी-12	नोटिस भेजे जाने की डाक रसीद
13.	प्रदर्श डी-13	नोटिस प्राप्ति की कम्प्यूटर प्रति
14.	प्रदर्श डी-14	प्रकरण की प्रोसैंडिंग
15.	प्रदर्श डी-15	परिवाद पत्र

8. उभय पक्षों की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि

अभियोजन द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। हस्तगत प्रकरण में पीड़िता सहित महत्वपूर्ण गवाहान परिक्षित नहीं हुए हैं। मुल्जिम ने पीड़िता को पैसे उधार दे रखे थे, जिसकी एवज में पीड़िता द्वारा दिए गए चेक के अनादरण होने पर मुल्जिम द्वारा उसे जो नोटिस भिजवाया गया, उस कार्रवाई से बचने हेतु पीड़िता ने यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। इस चेक व इससे संबंधित दस्तावेजों को मुल्जिम ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श डी-1 लगाकर डी-15 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया है। हस्तगत प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य व एफएसएल रिपोर्ट से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जाना प्रमाणित नहीं है। पीड़िता व मुल्जिम के मध्य हुई वार्ता की किसी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

10. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त द्वारा मई 2019 के पश्चात पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण किया व उसके साथ होटल एमजी रेजिडेंसी, अमृतसर, पंजाब एवं दिनांक 24.08.2019 को माउंट आबू के किसी होटल में पीड़िता की इच्छा व सहमति के विरूद्ध जबरन बार-बार बलात्संग किया?

2. यदि हां तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

11. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था। इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की

गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करें तो गवाह पीडब्ल्यू-1 मोहित ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 27.11.2019 को मै मोनिका के घर गया हुआ था तो समय 11.00 एएम पर पुलिस वालो ने मोनिका की निशांदेही से घटनास्थल हाउसिंग बोर्ड, मोनिका के मकान, जहां पर मोनिका के साथ गलत काम हुआ था, उस स्थान का नक्शामौका मेरे व राजेश अरोडा के सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

12. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जिस प्रकरण में मैं बयान देने आया हूँ उसमें मैंने कोई घटना नहीं देखी, ना ही प्रकरण के पक्षकारों को एक साथ देखा था। मैं नक्शे मौके में नहीं समझता हूँ, मैं तो मार्बल का काम करता हूँ।

13. गवाह पीडब्ल्यू-2 लक्ष्मी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 26.11.2019 को मै पीएस मदनगंज पर महिला कानि के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन थाने पर दर्ज मुकदमा नम्बर 388/2019 अन्तर्गत धारा 376, 376(2)(एन), 377, 313 आईपीसी के आई ओ श्री सीताराम के साथ पीडिता के निवास स्थान पर गये थे। जहां पर मैने पीडिता के बयान उसके कहे अनुसार लेखबद्व किये थे जो प्रदर्श पी 02 है जिसकी पुश्त पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 27.11.2019 को मै पीडिता का वाईएन अस्पताल किशनगढ में बलात्कार संबंधी परीक्षण करवाने हेतु लेकर गई थी। पीडिता की बलात्कार संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 28.11.2019 को प्रकरण के आई ओ के निर्देशानुसार मै पीडिता का गुदा से संबंधित मेडिकल व डीएनसी से संबंधित मेडिकल मुआयना कराने वाईएन अस्पताल किशनगढ गई थी जहां पर पीडिता ने मेडिकल नही करवाने बाबत मेडिकल ज्यूरिष्ठ के सामने लिखकर दिया। उसी दिन 09.45 एएम पर पीडिता ने वक्त घटना पहनी हुई अपनी गुलाबी रंग की अंडरवियर मेरे व राजेश अरोडा के समक्ष आई ओ को पेश की जिसे आई ओ साहब ने एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित कर जब्त किया। फर्द पेशकशी एवं जब्ती अंडरवियर प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व

एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द सील चिट चस्पा अंडरवियर प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

14. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जिस दिन हम पीड़िता के बयान लेने गए थे उसका इंद्राज रोज़नामचा रजिस्टर में नहीं है।

15. गवाह पीडब्ल्यू-3 डॉ. सरोज विजय ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वाईएन अस्पताल किशनगढ से रिटायर्ड होने के बाद मै मेरा स्वंय का अस्पताल सरोज नाम से संचालित कर रही हूं। दिनांक 05.11.2019 को पीडिता पत्नी राजेश मेरे अस्पताल आई। तब पीडिता की शिकायत थी कि उसके डेढ से दो माह माहवारी के चढे हुए है और उसे रक्तस्राव की शिकायत हो रही थी तो मैने उसे सोनोग्राफी कराने की सलाह दी। तब मैने उसकी सोनोग्राफी की तो उसमें पीडिता के गर्भ में 6 सप्ताह का बच्चा पाया गया तो मैने उसको बच्चा रोकने की दवाई दी। उसके बाद पीडिता पुनः 11.11.2019 को मेरे पास चैकअप के लिए आई। तब उसकी शिकायत थी कि उसके बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। तब मैने उसकी दुबारा सोनोग्राफी स्क्रीनिंग की तो बच्चा ठीक नही था, ब्लीडिंग ज्यादा थी तो मैने डीएनसी कराने की राय दी। तब उस दिन तो वह अपने घर चली गई इसके बाद अगले दिन दिनांक 12.11.2019 को मेरे अस्पताल दुबारा आई और कहा कि डीएनसी करवानी है। मैने डीएनसी के लिए भर्ती का फार्म भरवाया और एडमिशन की फॉर्मलटिज पुरी करके उसकी उसी दिन डीएनसी करके डिस्चार्ज कर दिया गया। बाद में पुलिस थाना मदनगंज के चाहने पर मैने उक्त पीडिता से संबंधित सभी दस्तावेज सत्यापित करके पुलिस वालो को दिये। पुलिस ने जो उक्त बाबत जो पत्र दिया वह पत्र प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे उक्त पत्र के प्राप्ति के हस्ताक्षर है। इलाज की पर्ची प्रदर्श पी 07 है। सोनोग्राफी प्रदर्श पी 08 है। सोनोग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 है। पीडिता का अस्पताल में भर्ती होने का एडमिशन फॉर्म प्रदर्श पी 10 है। साथ ही मैने उसके इलाज में चाहे गये दस्तावेजो की प्रतियां भी दी थी। उक्त सभी पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर

व सील है।

16. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि डीएनसी करवाने पीड़िता का पति स्वयं साथ आया था। यह कहना सही है कि मैंने डीएनसी के निर्देश पीड़िता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिए थे। यह कहना सही है कि जब मैंने डीएनसी की तब पीड़िता के शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं थे। यह कहना सही है कि पीड़िता के साथ उसके पति के अलावा अन्य कोई व्यक्ति या महिला साथ नहीं आई थी। यह कहना सही है कि मैंने उसके शरीर पर ऐसा कोई लक्षण नहीं पाए जिससे पता चलता हो कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है।

17. गवाह पीडब्ल्यू-4 सुरेश कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2019 को मै पीएस मदनगंज पर कानि के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 388/19 में आई ओ श्री सीताराम उ.नि. ने बाद अनुसंधान मेरे व कृष्णकुमार हिंदवानी के समक्ष आरोपी भारतभूषण हिंदवानी को जरिये फर्द गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी मुल्जिम भारतभूषण हिंदवानी प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

18. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उपरोक्त फर्द की कार्यवाही के समय अभियुक्त की अंडरवियर आदि मेरे सामने जब्त नहीं की गई थी।

19. गवाह पीडब्ल्यू-5 कृष्णकुमार हिंदवानी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2019 को पुलिस वालो ने मेरे समक्ष आरोपी भारतभूषण हिंदवानी को जरिये फर्द गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी मुल्जिम भारतभूषण हिंदवानी प्रदर्श पी 11 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

20. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-11 पर जब मैंने हस्ताक्षर किया तब यह खाली था, इस पर न तो कोई फोटो लगी हुई थी, न ही कुछ लिखा

हुआ था।

21. गवाह पीडब्ल्यू-6 अरविन्द मालाकार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 05.12.2019 को पुलिस वालो ने मेरे सामने एमजी रेजीडेन्सी होटल अमृतसर, का विजिट कर नक्शामौका समय दोपहर दो से तीन के बजे बनाया था जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

22. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मैं आज निश्चित नहीं बता सकता कि पीडिता और राजेश ने मेरे सामने प्रदर्श पी-12 पर हस्ताक्षर किए थे अथवा नहीं।

23. गवाह पीडब्ल्यू-7 हनुमान ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 28.11.2019 को पीएस मदनगंज पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मै थाने पर मालखाना एलसी भी था। उसी दिनांक को एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्का ए अंकित था जिसमें मुताबिक फर्द जब्ती पीडिता की अंडरवियर जब्त की गई थी जिसे लाकर मुझे सुपूर्द किया। दिनांक 30.11.2019 को एक सील्डसुदा पैकेट अस्पताल की पटटी के मार्का ए, एमओ साहब द्वारा लिये गये सैंपल मुझे पेश किये। दिनांक 12.12.2019 को एक सील्डसुदा पैकेट अस्पताल की पटटी मार्का ए 1 मुल्जिम भारतभूषण का एमओ साहब द्वारा सैंपल मुझे लाकर पेश किया। उक्त तीनो का मैने मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 223/2019 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 13 है जिसकी पत्रावली पर प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 13 ए है जिस पर ए से बी चैन सिंह हैड कानि के हस्ताक्षर है जिनको मै उनको अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता हूं।

24. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-13 व पी-13 ए पर मेरे मालखाने में माल जमा कराने के संबंध में कोई हस्ताक्षर नहीं हैं।

25. गवाह पीडब्ल्यू-8 डॉ. गुलाबचंद ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2019 को मै वाईएन अस्पताल किशनगढ अजमेर

मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मेरे द्वारा भारतभूषण पुत्र गुरदास निवासी सिद्वी विनायक कॉलोनी, खोडा गणेश रोड की पुरूषत्व की जांच की गई। मेरी राय में फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद यह किसी भी प्रकार से प्रतीत नही होता है कि यह व्यक्ति संभोग करने में सक्षम नही है। मेरे द्वारा की गई भारत भूषण की पुरूषत्व की जांच प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मेरी राय है।

26. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुझे जांच किए जाने हेतु अधिकृत किया गया हो, ऐसा कोई पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

27. गवाह पीडब्ल्यू-9 डॉ. अंजना गुप्ता ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 27.11.2019 को वाईएन अस्पताल किशनगढ में गायनि विशेषज्ञ के पद पर पदस्थापित थी। मैने उस दिन मदनगंज थाना के प्रतिवेदन पर पीडिता का बलात्कार संबंधित मेडिकल मुआयना किया। जिसमें दो वैजाइनल स्लाइड एवं स्वाव लिये और उनको सील्ड पैक करके संबंधित थाने के कानि को सुपूर्द कर दिये। प्रदर्श पी 03 पीडिता का तैयार किया गया चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट है जिस पर ए से बी पीडिता के हस्ताक्षर, सी से डी पीडिता की सहमती व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर व सील है। उक्त नमूने मैने कानि. लक्ष्मी को सुपूर्द किये थे।

28. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि पीड़िता के बाहरी व आंतरिक भागों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे।

29. गवाह पीडब्ल्यू-10 रामजीलाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 02.12.2019 को पुलिस थाना मदनगंज पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। मै थाने मे मालखाना इन्चार्ज हनुमान कानि से मैने मुकदमा न. 388/2019 का सीलचीटशुदा पीडिता की अंडरवियर मार्का ए एवं एम ओ साहब द्वारा लिये गये सेम्पल पेकेट मार्का ए व एफएसएल लेटर से संबंधित पत्र आदि लेकर श्रीमान एस पी साहब कार्यालय अजमेर

लेटर बनवाने के लिये गया। एस पी कार्यालय से मेरे नाम एफएसएल लेटर बनवाकर लेटर व सीलशुदा पीडिता की अंडरवियर मार्का ए व एम ओ साहब द्वारा लिये गये सेम्पल पेकेट मार्का ए को सुरक्षित लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर जाकर जांच हेतु जमा करवाकर प्राप्ति रसीद डीएनए 20483 दिनांकक 03.12.2019 लेकर आया। प्राप्ति रसीद वापसी पर कानि हनुमान मालखाना इन्चार्ज को दी जिन्होने बाद इन्द्राज मालखाना रजिस्टर के, प्राप्ति रसीद अनुसंधान अधिकारी को संभला दी। दिनांक 02.12.2019 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के यहां थानाधिकारी द्वारा मुझे दिया गया अग्रेषण पत्र की प्रति लेकर गया जो प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के द्वारा एफएसएल जयपुर में एफएसएल जमा करवाने हेतु दिया गया पत्र प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 03.12.2019 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला मे एफएसएल जमा की रसीद प्रदर्श पी 17 है।

30. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि माल पर किस-किस के हस्ताक्षर थे व कौन सी सील अंकित थी, मैं आज नहीं बता सकता।

31. गवाह पीडब्ल्यू-11 रामजीलाल पुत्र छीतरमल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 16.12.2019 को पुलिस थाना मदनगंज पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। मै थाने मे मालखाना इन्चार्ज हनुमान कानि से मैने मुकदमा न. 388/2019 का सीलचीटशुदा पीडिता की अंडरवियर मार्का ए एवं एम ओ साहब द्वारा लिये गये सेम्पल पेकेट मार्का ए व एफएसएल लेटर से संबंधित पत्र आदि लेकर श्रीमान एस पी साहब कार्यालय अजमेर लेटर बनवाने के लिये गया। एस पी कार्यालय से मेरे नाम एफ.एस.एल. लेटर बनवाकर लेटर व सीलशुदा पीडिता की अंडरवियर मार्का ए व एम ओ साहब द्वारा लिये गये सेम्पल पेकेट मार्का ए को सुरक्षित लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर जाकर जांच हेतु जमा करवाकर प्राप्ति रसीद डीएनए 21547 दिनांक 17.12.2019 लेकर आया। प्राप्ति रसीद वापसी पर कानि. हनुमान मालखाना इन्चार्ज को दी जिन्होने

बाद इन्द्राज मालखाना रजिस्टर के, प्राप्ति रसीद अनुसंधान अधिकारी को संभला दी। दिनांक 16.12.2019 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के यहां थानाधिकारी द्वारा मुझे दिया गया अग्रेषण पत्र की प्रति लेकर गया जो प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के द्वारा एफएसएल जयपुर में एफएसएल जमा करवाने हेतु दिया गया पत्र प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 17.12.2019 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला मे एफएसएल जमा की रसीद प्रदर्श पी 20 है।

32. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि माल पर किस-किस के हस्ताक्षर थे व कौन सी सील अंकित थी, मैं यह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि मैं रोडवेज से गया हो, ऐसा कोई टिकट व वारंट मैंने मालखाना इंचार्ज को जमा नहीं करवाया।

33. गवाह पीडब्ल्यू-12 सीताराम ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 26.11.2019 को एस.आई. के पद पर पुलिस थाना मदनगंज में कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी रोशनलाल जी ने मुकदमा नंबर 388/2019 धारा 376, 376(2)(एन), 377, 313 आईपीसी का अनुसंधान मेरे जिम्मे किया गया था। दौराने अनुसंधान मैंने गवाह राजेश, कृष्णगोपाल, हंसराज, दिव्या कुमारी, किशोरचन्द कपूर, श्रीमती सरोज, रामजीलाल पुत्र रामेश्वर, रामजीलाल पुत्र छीतरमल, हनुमान एंव पीडिता के उनके कहेनुसार बयान लेखबद्ध किए थे। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा फर्द निरीक्षण घटनास्थल व नक्शा नजरी मौका किया गया था जो प्रदर्श पी.01 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर, ई से एफ पीडिता के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.01 की पुश्त पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 27.11.2019 को पीडिता मोनिका मेहता का उम्र व बलात्कार संबंधी परीक्षण करवाया गया जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 है जिस पर जी से एच शामिल पत्रावली के अंकन सहित मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 28.11.2019 को पीडिता ने एक अण्डरवियर बरंग गुलाबी पेश की, अंडरवियर के नीचे सफेद धब्बेनुमा दाग थे जिसे मार्कर से गोल मार्क किया

जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क ए अंकित किया गया जिसकी फर्द जब्ती रूबरू गवाहान मेरे द्वारा तैयार की गई जो प्रदर्श पी.04 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ पीडिता के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है व एक्स तीन स्थान पर नमूना सील अंकित है। सफेद थैली पर चिट चस्पा किया गया जो प्रदर्श पी.05 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ पीडिता के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। मेरे द्वारा एक नोटिस प्रबंधक सरोज होस्पिटल सिटी रोड मदनगंज-किशनगढ जिला अजमेर को पीडिता की डी.एन.सी. संबंधित नोटिस दिया गया था जो प्रदर्श पी.06 है जिस पर ए से बी नोटिस प्राप्तिकर्ता के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। सरोज हास्पिटल से पीडिता के डीएनसी संबंधित रिकार्ड प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी.07 लगायत प्रदर्श पी.10 है जिन पर ए से बी सरोज विजय के हस्ताक्षर व सी से डी शामिल पत्रावली का अंकन कर मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में अनुसंधान कर अभियुक्त भारतभूषण हिन्दवानी को दिनांक 09.12.2019 को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.11 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा दिनांक 05.12.2019 को करीब 02.15 पी एम पर पीडिता की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका मेरे द्वारा तैयार किया गया जो प्रदर्श पी.12 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ पीडिता के व जिसकी पुश्त पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति जो मेरे द्वारा शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी.13 ए है। अभियुक्त भारतभूषण का उम्र व पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की जो प्रदर्श पी.14 है जिस पर ए से बी मेडिकल ज्यूरिष्ट के हस्ताक्षर, सी से डी मेडिकल ज्यूरिष्ट की राय व ई से एफ अभियुक्त भारतभूषण द्वारा दी गई सहमति व उसके हस्ताक्षर है तथा जी से एच मेरे द्वारा शामिल पत्रावली किए जाने का पृष्ठांकन सहित मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.16 पुलिस अधीक्षक अजमेर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को लिखा गया पत्र है जिस पर ए से बी पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

के हस्ताक्षर, सी से डी शामिल पत्रावली के पृष्ठांकन सहित मेरे हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल जमा की रसीद प्रदर्श पी.17 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली के पृष्ठांकन के साथ मेरे हस्ताक्षर हैं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक द्वारा एफएसएल जयपुर को लिखा गया पत्र दिनांकित 16.12.2019 प्रदर्श पी.19 है जिस पर ए से बी पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व सी से डी मेरे पृष्ठांकन सहित मेरे हस्ताक्षर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में दिनांक 17.12.2019 को जमा माल की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.20 है जिस पर ए से बी पृष्ठांकन सहित मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में जांच हेतु भेजे गए सेम्पल की एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट संख्या 2543/2019 दिनांक 29.01.2023 प्राप्त हो शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी. 21 है जो कुल 03 पृष्ठ में है। मेरे द्वारा पीडिता मोनिका के बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.स. के तहत माननीय न्यायालय से करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श पी.22 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। न्यायालय में हुए बयानों की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रदर्श पी.23 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुझे पीडिता के बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.स. की प्रमाणित कार्बन प्रति माननीय न्यायालय द्वारा दी गई थी जो प्रदर्श पी.24 है जो कुल 03 पृष्ठों में है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी.25 है जिस पर तीन स्थान पर नमूना सील अंकित होकर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी भारतभूषण को दिया गया नोटिस वास्ते पेश करने पारचेजात प्रदर्श पी.26 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी भारतभूषण का जवाब व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा जी से एच शामिल पत्रावली के पृष्ठांकन सहित मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.27 पीडिता को दिया गया नोटिस माउंट आबू में घटनास्थल बताने के संबंध में है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा सी से डी मेरे द्वारा दिए गए नोटिस के कथन तथा ई से एफ पीडिता का जवाब व जी से एच पीडिता के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.11.2019 को वाई एन अस्पताल किशनगढ के एम ओ को पीडिता के बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाने हेतु मेरे द्वारा दिया गया पत्र प्रदर्श पी.28 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर, सी से डी रिसीव्ड नंबर, ई से एफ एम.ओ के पृष्ठांकन सहित उनके हस्ताक्षर है।

"Authenticated Document"

दिनांक 28.11.2019 को पीडिता के डी.एन.सी. का मेडिकल कराने हेतु दिया गया पत्र प्रदर्श पी.29 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी पीडिता का जवाब, ई से एफ पीडिता के हस्ताक्षर है तथा जी से एच मेडिकल ज्यूरिष्ट के हस्ताक्षर व सील है। मेरे द्वारा एम.जी. रेजीडेन्सी अमृतसर के प्रभारी को धारा 91 द.प्र.सं. के दिए गए नोटिस की कार्बन प्रति प्रदर्श पी.30 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा प्रदर्श पी.30 दिए जाने के पश्चात होटल प्रबधंक द्वारा उपलब्ध करवाया गया होटल का कार्ड व रजिस्टर की फोटोप्रति है जो मेरे द्वारा शामिल पत्रावली की गई है। एम.ओ. साहब द्वारा पीडिता व अभियुक्त के एफएसएल जांच हेतु भेजे गए दस्तावेज की फोटोप्रति मेरे द्वारा शामिल पत्रावली की गई। गवाह सरोज विजयवर्गीय के आधार कार्ड की सत्यापित फोटोप्रति प्रदर्श पी.31 है जिस पर ए से बी सरोज विजयवर्गीय के हस्ताक्षर एंव सील व सी से डी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन व मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त भारतभूषण पुत्र गुरूदासमल हिन्दवानी जाति सिंधी के विरूद्ध धारा 366, 376, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही एंव आरोप पत्र पेश करने हेतु थानाधिकारी को सुपुर्द की गई।

34. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि दौराने अनुसंधान यह मेरी जानकारी में था कि आरोपी व पीड़िता मोबाइल संचालित करते थे। यह बात सही है कि दौराने अनुसंधान दोनों के बीच आपस में शादी किए जाने के कोई वादे किए गए हों, ऐसी कोई कॉल डिटेल, एसएमएस व व्हाट्सऐप मैसेज की मैंने न तो कोई जांच की, न ही ऐसी कोई डिटेल्स मेरे द्वारा पत्रावली पर पेश की गई। यह कहना सही है कि दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा कथित आरोपी व पीड़िता के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट व लोकेशन के संबंध में कोई जांच व अनुसंधान नहीं किया गया और ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजात किसी मोबाइल कंपनी से प्राप्त किए। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-12 वाले स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, परंतु सीसीटीवी रिकॉर्ड में आरोपी व पीड़िता के कोई फुटेज उपलब्ध नहीं पाए गए थे। यह कहना सही

है कि दौराने अनुसंधान यह तथ्य मेरी जानकारी में आ गया था कि पीड़िता के पति को आरोपी द्वारा रुपये उधार देकर मदद की गई थी। यह बात सही है कि दौराने अनुसंधान पीड़िता व आरोपी के एक साथ आबू जाने के संबंध में कोई दस्तावेजात या तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-27 के जरिए आबू के किसी भी स्थान की खोज नहीं हो पाई थी। यह बात सही है कि दौराने अनुसंधान गवाह सरोज के बयानों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो गया था कि पीड़िता डीएनसी हेतु अपने पति राजेश अरोड़ा के साथ सरोज हॉस्पिटल गई थी। मेरी जानकारी में नहीं है कि आरोपी द्वारा पीड़िता व उसके पति को चेक अनादरण के संबंध में नोटिस दिया गया या नहीं।

35. गवाह पीडब्ल्यू-13 रोशन सामरिया ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 26.11.2019 को पुलिस थाना मदनगंज पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज परिवादिया ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट अपने पति व राजेश अरोडा व पिता श्री कृष्णगोपाल मेहता के साथ उपस्थित थाना होकर पेश की। उक्त रिपोर्ट से मामला धारा 376, 376(2)(एन), 377, 313 आईपीसी में का पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान सीताराम एस आई के जिम्मे किया गया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी परिवादिया के हस्ताक्षर है, सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन है व ई से एफ व जी से एच पिता व पति के हस्ताक्षर है व आई से जे मेरे हस्ताक्षर है। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 388/2019 दर्ज की गयी जो प्रदर्श 33 है जिस पर ए से बी परिवादिया के हस्ताक्षर है तथा सी से डी व ई से एफ परिवादिया के पिता व पति के हस्ताक्षर है तथा जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर केा प्रकरण संख्या 388/2019 में एफएसएल प्रादर्श वास्ते जांच जमा कराने बाबत अग्रेषण पत्र लिखे गये थे जो प्रदर्श पी 15 व प्रदर्श पी 18 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त पत्र मय माल मेरे द्वारा कानि. रामजीलाल पुलिस थाना मदनगंज को वास्ते जमा कराने एफएसएल पुलिस अधीक्षक कार्यालय रवाना किया था जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अग्रेषण पत्र जारी किया गया था जो शामिल

पत्रावली है। प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अनुसंधान अधिकारी सीताराम उप निरीक्षक ने पत्रावली मेरे समक्ष पेश की। जिस पर मेरे द्वारा आरोपी भारतभूषण पुत्र श्री गुरूदासमल हिन्दवानी जाति सिंधी उम्र 37 वर्ष निवासी 76 सिद्धि विनायक कॉलोनी खोडा गणेश जी रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर के विरूद्ध धारा 366, 376, 376(2)(एन) आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण में मेरे द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

36. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ गए थे कि पीड़िता व पीड़िता के पति को आरोपी पैसे देकर मदद करता था। यह कहना सही है कि पीड़िता ने कथित घटना के लगभग 3 माह पश्चात तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट में उसने देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है।

37. इस तरह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 32 पुलिस थाना मदनगंज पर दर्ज करवाई गई, वह रिपोर्ट दिनांक 26-11-2019 को दर्ज करवाई गई है, जिसमें पीडिता ने अपनी रिपोर्ट में उसके साथ जबरन बलात्संग मई 2019 व अगस्त 2019 में होने का कथन किया है। अर्थात हस्तगत रिपोर्ट लगभग 3 माह के विलंब से दर्ज करवाई गई। इस विलंब का कोई कारण पीड़िता ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है। इस रिपोर्ट को दर्ज करने वाले गवाह पीडब्ल्यू-13 रोशन सामरिया ने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पीड़िता ने तहरीरी रिपोर्ट में देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है। पीड़िता ने माउंट आबू के जिस होटल में मुल्जिम द्वारा उसके साथ जबरन बलात्संग किए जाने का कथन किया, उस होटल की कोई तस्दीक पीड़िता द्वारा नहीं करवाई गई। अमृतसर के जिस होटल में पीड़िता ने मुल्जिम द्वारा जबरन बलात्संग किए जाने का कथन किया, उस होटल के सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता व मुल्जिम का कोई फुटेज नहीं आये। इसके अतिरिक्त उस होटल के किसी प्रबंधक या कर्मचारी को भी अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परिक्षित

नहीं करवाया गया। चिकित्सीय गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से तथ्य सामने आया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता ने मुल्जिम द्वारा शादी का झांसा देकर जबरन बलात्संग किए जाने का कथन अपनी तहरीरी रिपोर्ट में किया एवं उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उसकी मुल्जिम से लगातार बातें होती थीं, परंतु ऐसे मोबाइल की किसी कॉल डिटेल रिपोर्ट को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्राप्त कर पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। पीड़िता ने मुल्जिम द्वारा जबरन बलात्संग किए जाने के कारण गर्भवती होने का तथ्य अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अंकित किया है। इस संबंध में डीएनसी करने वाली गवाह सरोज पीडब्ल्यू-03 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पीड़िता के साथ डीएनसी कराने हेतु उसका पति साथ आया था। पीड़िता के अधिक रक्तस्राव व सोनोग्राफी जांच ठीक नहीं होने के कारण डीएनसी कराने की सलाह दी गई थी। इस न्यायालय के मत में इस गवाह की साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि जिस भ्रूण की डीएनसी करवाई गई, वह मुलजिम द्वारा कथित बलात्संग के परिणामस्वरूप पीड़िता के गर्भ में आया हो। यहाँ तक कि इस चिकित्सीय गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने पीड़िता के शरीर पर ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए, जिससे यह पता चलता हो कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। उसे पीड़िता के शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान भी नहीं मिले। इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से यह भी साबित नहीं है कि मुलजिम द्वारा पीडिता के साथ जबरन किए गए बलात्संग के कारण वह गर्भवती हुई हो। हस्तगत प्रकरण में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट से भी यह साबित नहीं होता है कि मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ कोई संभोग किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पर्याप्त तामील जारी किए जाने के बावजूद एवं अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पीड़िता, उसका पति राजेश अरोड़ा तथा अन्य महत्वपूर्ण गवाह कृष्ण गोपाल मेहता, अंशराज व सुश्री दिव्या कुमारी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर परिक्षित नहीं हुए है। हस्तगत प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं

पीड़िता ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर परिक्षित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी-1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता के पति द्वारा 5,00,000 रुपये का चेक मुलजिम के नाम दिनांक 20.11.2019 को जारी किया गया, जो दिनांक 21.11.2019 को बैंक द्वारा अनादरित हुआ। इसके पश्चात मुलजिम द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत पीड़िता के पति को एक नोटिस दिनांकित 22-11-2019 प्रदर्श डी-3 जारी किया। जो नोटिस मिलने के तुरंत पश्चात दिनांक 26.11.2019 को पीड़िता ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-32 पुलिस थाना मदनगंज में प्रस्तुत की। इस दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि चैक अनादरण का नोटिस मिलने के तुरंत पश्चात पीडिता द्वारा तीन माह के विलंब से घटना की तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। स्वयं पीडिता, उसका पति एवं अन्य महत्वपूर्ण गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर परीक्षित नहीं हुए है। जो गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर परिक्षित हुए हैं, उनमें से किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया है कि मुल्जिम ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बार-बार बलात्संग किया। इस तरह अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है।

38. परिणामतः अभियुक्त भारत भूषण हिंदवानी आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 366, 376, 376(2)(एन) भा.द.स. के तहत दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

39. परिणामतः अभियुक्त भारत भुषण पुत्र श्री गुरूदासमल हिंदवानी, उम्र 37 वर्ष निवासी 76 सिद्धी विनायक कॉलोनी खोडा गणेश जी रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376, 376(2)(एन) भा.द.स. के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। मुलजिम के उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

40. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त धारा 437(ए)

"Authenticated Document"

दं.प्र.सं. के अन्तर्गत 25,000/- रुपये की एक जमानत व 25,000/- रुपये की राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि यदि 6 माह में इस निर्णय के विरुद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में यदि कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत होती है तो वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा।

41. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा कपडे बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी, अपील व निगरानी न होने की सुरत में नष्ट किए जावे एवं अपील/निगरानी होने की सुरत में माननीय अपीलीय/निगरानी न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किए जावे।

42. राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों पर विचार किया गया। हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय ने मुलजिम द्वारा पीडिता के साथ जबरन बार-बार बलात्संग किया जाना साबित नहीं माना है। ऐसी स्थिति में पीड़िता को राजस्थान पीडि़त प्रति11कर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंषा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या 01 किशनगढ़ जिला अजमेर।

43. यह निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20-04-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या 01 किशनगढ़ जिला अजमेर।

SUNIL SONI
Steno Gr. II "Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.04.21 08:15:55 +0530

"Authenticated Document"